



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक

सं. 107, लोअर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट, बेंगलूर - 560 007  
Office of the Principal Controller of Defence Accounts  
No. 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bangalore - 560 007  
फोन नं./Phone No. - 29710474/75 फैक्स नं. /Fax No. - 29710132/33



सं.आई.ए./1408/स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा

दिनांक- 13/08/2021

सेवा में/To,

सभी यूनिट / All Units

विषय: व्यय की स्वीकृति की लेखापरीक्षा

Sub: Audit of Sanction of Expenditure.

संदर्भ: इस कार्यालय का दिनांक - 26 अगस्त 2019 के पत्र सम संख्या।

Ref: This office letter bearing even no. dt. 26<sup>th</sup> August 2019.

\*\*\*\*\*

रक्षा लेखा महा नियंत्रक के दिनांक - 06/10/2016 के पत्र संख्या आईएडब्लू-1/13376/स्वीकृति की लेखापरीक्षा और वित्त विभाग के महानिदेशक जनरल स्टाफ शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना) के आईएचक्यू के पत्र सं.ए/90064/एफपी-1 के दिनांक- 09/05/2016 के संदर्भ में, सभी कमानों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी सीएफए और यूनिटों /संगठनों के प्रमुखों को स्वीकृती जारी करने के समय सभी स्वीकृती और आदेशों की स्याही-हस्ताक्षरित प्रतियां संबंधित पीसीडीए/सीडीए को स्वीकृतियों के व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और स्वीकृति की लेखापरीक्षा के व्यापक डेटाबेस तैयार करने हेतु अग्रेषित करने के लिए निर्देश जारी करें।

With reference to CGDA Letter No.IAW-1/13376/Audit of Sanction dt.06/10/2016 and Dte.Gen of Fin.Plg General Staff Shakha, IHQ of MoD(Army) letter No.A/90064/FP-1 dt. 09/05/2016, all the commands are directed to issue instructions to all CFAs and all the heads of units / formation to forward ink-signed copies of all sanctions and orders at the time of issue of sanction, to the respective PCs/DA/CsDA for systematic recording of all sanctions and also create a comprehensive database of sanctions for audit.


इसके आलावा, रक्षा मंत्रालय (सेना) के जनरल स्टाफ शाखा एकीकृत मुख्यालय में दिनांक - 09/05/2016 के पत्र में उल्लेखित है कि उपरोक्त डीपीएम के पैरा 7.8.4 के अनुसार अनिवार्य है और कहा गया है कि लेखापरीक्षा के समय स्वीकृतियों की लेखापरीक्षा में, बिलों का भुगतान न केवल कठिन हो जाता है बल्कि नकली मंजूरी /गलत भुगतान की संभावना भी बढ़ जाती है। तथापि, इस कार्यालय को अग्रिम रूप से लेखापरीक्षा और भुगतान करने के लिए और लिंक करने के लिए स्वीकृति पत्रों की स्याही-हस्ताक्षरित प्रतियां, नमूना हस्ताक्षर के साथ यूनिटों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

Further, it is also stated, in General Staff Shakha Integrated HQrs of MoD(Army) letter dt.09/05/2016 that the above is mandated as per Para 7.8.4 of DPM and states that Audit of sanctions at the time of audit of bills not only becomes difficult but also increases the probability of fake sanction / incorrect payment. However, this office has not been receiving ink-signed copies of sanction letters along with the specimen signature of sanctioning authority form the units for conducting audit in advance and linking the same for making payment.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्वीकृति जारी करने के समय सभी स्वीकृती और आदेशों की स्याही-हस्ताक्षरित प्रतियां अग्रिम लेखा परीक्षा के लिए एवं बिल भुगतान के समय ट्रंजेक्शन लेखा परीक्षा के लिए, इस कार्यालय को भेजने के लिए दोहराया जाता है।

In view of the above, it is reiterated to send ink-signed copies of all sanctions and orders at the time of issue of sanction to this office for Pre- audit and for transaction audit when the bills are submitted for payment.

कृपया इसे परम अग्रता प्रदान करें / Please accord "Top Priority"

  
उप नियंत्रक.(आई.ए.)  
Dy. Controller (IA)